

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXVI, Twelfth Session, 2017/1939 (Saka)
No. 19, Friday, August 11, 2017/Shravana 20, 1939 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 361 to 364	6-52
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 365 to 380	53-92
Unstarred Question Nos. 4141 to 4370	93-503

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	505-529
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	530-531
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE 80th and 81st Reports	532
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS Minutes	532
STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY 39th to 41st Reports	533
COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS 16th Report	533
STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION Statements	534

STATEMENTS BY MINISTERS

- (i) Status of implementation of the recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of Corporate Affairs

Shri Santosh Kumar Gangwar

535

- (ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 268th Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants (2015-16) and 278th Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Women and Child Development

Shrimati Maneka Sanjay Gandhi

535

- (iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 233rd Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 222nd Report of the Committee on Demands for Grants (2010-11) (Demand No. 58), pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development

Dr. Mahendra Nath Pandey

536

- (iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 22nd Report of the Standing Committee on Labour on Action Taken by the Government on recommendations contained in the 16th Report of the Committee on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

Shri Rajiv Pratap Rudy

536

MOTION RE: 46TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	537
GOVERNMENT BILLS - INTRODUCED	
(i) Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, 2017	538
(ii) Repealing and Amending (Second) Bill, 2017	538
VALEDICTORY REFERENCE	539-542
NATIONAL SONG	542
<u>ANNEXURE – I</u>	
Member-wise Index to Starred Questions	543
Member-wise Index to Unstarred Questions	544-549
<u>ANNEXURE – II</u>	
Ministry-wise Index to Starred Questions	550
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	551

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, August 11, 2017/ Shravana 20, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now, Q. No. 361.

(Q. 361)

DR. BHAGIRATH PRASAD : Madam, the scheme of central school commenced with a lot of enthusiasm on the part of the Central Government in 1961 but after a decade, the entire project suffered from the neglect of the Government of India. During the years 1961 to 1971, seventeen Sainik Schools were established in a span of 10 years. ... *(Interruptions)*

11.01 hours

(At this stage, Shri P.R. Sundaram came and stood on the floor near the Table.)

HON. SPEAKER: I am sorry. Please go to your seat.

... *(Interruptions)*

DR. BHAGIRATH PRASAD: The apathy of the Central Government is apparent by the fact that during the last 46 years, only nine Sainik Schools were established. ... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: I am sorry. This is not the way.

... *(Interruptions)*

DR. BHAGIRATH PRASAD: Keeping in view the large strength of our army and the utility of our Sainik Schools, by now, every district should have had such a school. The project of the Sainik School is left at the mercy of the State Governments. The entire scheme and the gamut of funding pattern envisaged for Sainik Schools has in fact dissuaded the State Governments from taking proactive part in opening up new schools. ... *(Interruptions)*

11.02 hours

(At this stage, Shrimati V. Sathyabama and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

HON. SPEAKER: Please go to your seats. Please do not do that.

... (*Interruptions*)

DR. BHAGIRATH PRASAD: It was recommended by the Standing Committee on Defence that the entire funding of Sainik Schools should be made by the Central Government on the pattern of Kendriya Vidyalayas. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will look into it.

... (*Interruptions*)

DR. BHAGIRATH PRASAD : As is evident, not many States and Union Territories are coming forward for establishing new Sainik Schools and even those who initiated the process did not show interest subsequently when they were intimated of their financial responsibilities. In order to explode the myth of martial race and demolish the caste foundations of our army units, we have to promote the Sainik Schools to create a new India with an army of national pride.

Hence my question to the hon. Defence Minister is this. Will the Government of India undertake the project to fund the entire infrastructure and run these schools in coordination with the State Governments? The State Government can provide land only. ... (*Interruptions*)

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, through you, I would like to inform the House and the hon. Member that the basic concept of the Sainik Schools during the 1960s was that the scheme of Sainik School was conceived as a collaborative effort between the State Governments and the Central Government.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go to your seats. This is not the way. I will look into it afterwards.

... (*Interruptions*)

11.04 hours

(At this stage, Shri P.R. Sundaram and some other hon. Members went back to their seats.)

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, the joint ownership of the Centre and the States in opening and running of the Sainik School is vital for its smooth functioning. The scheme, therefore, ensures that jointness in responsibility and pooling of resources by the Central and State Governments. The pursuit of asking for the proposal from the State concerned for setting up of a Sainik School is an attempt to assess the keenness and commitment of the State for sharing the joint responsibility.

Madam, so far 26 Sainik Schools in the whole country are well established. The position is that out of 26 Sainik Schools, only in respect of 12 Sainik Schools, their respective State Governments have entered into an agreement, that is, the Memorandum of Agreement. Now it is their responsibility also because day-to-day running of the Sainik Schools is dependent on the local authorities. Around 67 per cent students are selected from that particular State.

As far as other matters which the hon. Member has raised are concerned, the Standing Committee on Defence has submitted some suggestions and recommendations. Now these recommendations are under the consideration of this Ministry as well as the Ministry of Finance.

DR. BHAGIRATH PRASAD: Madam, the Government of India has just left this issue to the State Governments. It is very important to support the Sainik Schools for promoting quality education and also for preparing good Army Officers. They have just created a Sainik School Society and the Government of India has left it to the States to provide land and all the funds.

I would like to submit that in order to remove all caste, community and martial race concept, the Government of India must fund the entire expenditure for providing infrastructure and running of these schools. It is because these schools can prepare good officers for the Army.

I would submit that Bhind district of Madhya Pradesh provides the largest number of soldiers to the Army but there is no officer coming from that area. Therefore, I would request that the Government of India should fund these

schools. It should provide an opportunity to the warrior community living in Bhind and Chambal areas. If quality education is provided and Sainik School is established with the help of Government of India, then certainly this area can provide good officers. With the result, our Army will be strengthened and it will be free from caste and community issues and impartial selection will promote national pride of our Army.

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, as I have already said, the Standing Committee on Defence has made some recommendation in this regard which is already under consideration. The Ministry of Defence is lending support to the Sainik Schools. I would just like to bring to the notice of the hon. Member that the Ministry of Defence is providing funds to the tune of Rs.81 crore to Rs.100 crore per year to the Sainik Schools. In comparison to this, the State Governments are providing only Rs.4 crore for all these 26 Schools.

The setting up of Sainik School is a joint venture effort. If there is keenness on the part of the State Governments, then only we enter into an agreement and then we give sanction for a Sainik School. The hon. Member has given a good suggestion and it is under our consideration. The support of the Central Government to the Sainik Schools is beyond question.

So, I would like to appeal to all the hon. Members of Parliament that if they want to have a Sainik School in their constituencies, they must follow it up with their respective State Governments. Ours is a federal system. That is why, we expect that there has to be some pro-active role as far as the functioning of Sainik Schools is concerned.

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE: Madam, the primary aim of establishing Sainik School was to prepare students academically, physically and mentally for entering into the Defence Academy. According to the statement of the Minister of State for Defence made on 10th March, 2017, the total shortage of personnel in the Armed Forces was 9731 at officer rank and 85997 at other ranks. To reduce the shortage, the Government has taken several measures such as publicity campaign,

provision of better amenities and improving promotion prospects. In 2016-17 also, out of 1800 candidates who joined NDA, only 183 candidates were from Sainik Schools.

Madam, through you, I want to ask the hon. Minister that for larger States and for the youth gaining exposure to a career in the Armed Forces, whether the Ministry of Defence has any plan to collaborate with the Ministry of Human Resource Development to bring the curriculum, practices and ethos of the Sainik Schools to the other schools?

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, as far as his questions are concerned, he has put 2-3 questions together. First is regarding the shortage of army personnel. That is totally a different question and not related to this. If he desires so, he will be provided with the detailed information.

Second question is: what are the steps taken to increase the percentage of NDA intake from the Sainik Schools? I would like to bring to his notice that we have institutionalized this mechanism to prepare these students for the NDA qualifying exam, and we have seen the result. In 2014, a total of 129 students from the Sainik Schools were selected to the NDA. That comes to 21 per cent. In 2015, the figure was 144, and that comes to 23.92 per cent, and last year, that is, 2016, the percentage has gone up to 30. I want to inform the hon. Member that we have institutionalized the mechanism to assess the performance of the teaching staff and the cadets, and our aim is to increase the intake at the NDA.

श्री राजीव सातव: महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, जो डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी की बात माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर की, सैनिक स्कूल के बारे में जो रिकमंडेशंस खंडूड़ी जी के नेतृत्व वाली डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी ने दी हैं, उनके ऊपर सरकार ने पूरा ध्यान नहीं दिया है। यह पहली बात है।

महोदया, इसमें मेरा स्पेसिफिक सवाल यह है कि यहाँ पर सैनिक स्कूलों की बात की गई है, लेकिन ये सभी सैनिक स्कूल जो हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए कोई सैनिक स्कूल नहीं है। क्या सरकार इस दिशा में सोचना चाह रही है, क्योंकि आप बहुत बातें कर रहे हो कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, तो क्या सैनिक स्कूल गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए भी होंगे और होंगे तो कब से शुरू होंगे? बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: It is a good question. There were suggestions from the Standing Committee also. There was a PIL also in the High Court. Many Members have suggested this particular thing. I would like to bring to his notice that the views of all the State Governments have been sought for providing infrastructure to the Sainik Schools, as it is responsible for the concerned States. The views of the Service Headquarters have been sought for. They say the basic aim is to prepare these students for the NDA and the NDA is not taking girl cadets.....(*Interruptions*) The matter is under consideration in the Ministry of Defence whether to give admission to girl cadets in the Sainik Schools as well as in the NDA.

SHRI PARTHA PRATIM RAY: Madam, the objective of the Sainik Schools is to prepare the students to lead as officers in the Defence Services of the country and to remove regional imbalance in the officer cadre in the Defence Services. But in West Bengal there is only one Sainik School in Purulia. The second one is going to be set up in Darjeeling. It has been learnt that the Sainik School was originally planned to be set up near Siliguri but its location was changed later for the benefit of the people from the hills as well as from the State of Sikkim.

My specific question to the Minister, through you, Madam, is this. What is the present status of the proposed Sainik School in Darjeeling? When will it start its academic session?

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, through you, I would like to inform the hon. Member that in total there are 26 Sainik Schools in the country. There has been consistent demand for Sainik Schools from different parts of the country. There are 21 Sainik Schools for which the approval is given by the Ministry of Defence and they are at different stages of approval. I would like to inform him that nine schools have already signed Memoranda of Agreement. Madam, three schools have been given in-principle approval. The remaining nine schools are in the process of examination and consideration.....(*Interruptions*) Which State did you say?

SHRI PARTHA PRATIM RAY : Darjeeling in West Bengal.

HON. SPEAKER: Q.No.362, Dr. Kirit Somaiya.

... (*Interruptions*)

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: I am coming to that... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Have you not completed your reply?

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: You have talked about Darjeeling. Besides these 21 new Sainik Schools, in total there are 64 proposals from different Members of Parliament.... (*Interruptions*)

With regard to Darjeeling that you have pointed out, the proposal is pending and it is under consideration.

HON. SPEAKER: Q.No.362. Dr. Kirit Somaiya.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is okay now. Please do not do like this.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, please.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have not allowed you. Please cooperate with me.

Q.No.362. Dr. Kirit Somaiya.

(Q. 362)

डॉ. किरीट सोमैया: माननीय अध्यक्ष महोदया, जो एग्रीकल्चर लोन दिया गया है, उसका ग्रॉस एन.पी.ए. 62,307 करोड़ रुपये है। प्रश्न पूछा गया था कि फार्म लोन में विल्फुल डिफॉल्ट कितना है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि देश में टोटल एन.पी.ए. कितना है। मेरे हिसाब से यह लाखों करोड़ों में है। उसके सामने अगर एग्रीकल्चर का ग्रॉस एन.पी.ए. लगभग 62,000 करोड़ रुपये है तो उसमें विल्फुल डिफॉल्ट तो करीब 25-30 हजार करोड़ रुपये होगा। आज जब हमारे वित्त मंत्री जी कॉमर्शियल विल्फुल डिफॉल्ट्स के विरुद्ध एक्शन ले रहे हैं और बारह कंपनियों का इंसॉल्वेंट लिक्विडेशन स्टार्ट भी हो गया है तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कर्ज माफी के पश्चात् किसानों में जो विल्फुल डिफॉल्ट की आदत बढ़ी है, क्या इसके संबंध में कोई आंकड़ा है।

हमारे देश का किसान ईमानदार है। यहां बारह कंपनियों का कॉमर्शियल डिफॉल्ट है, जैसे भूषण स्टील का विल्फुल डिफॉल्ट 80,000 करोड़ रुपये है और किसानों का टोटल ग्रॉस एन.पी.ए. करीब 62,000 करोड़ रुपये है।

अगर सरकार के पास विल्फुल फार्म डिफॉल्ट के आंकड़े हों तो ज़रा बताने की कृपा करें।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहां तक लोन-वेवर का प्रश्न है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप कुछ नहीं होता है। संबंधित बैंक आर.बी.आई. की गाइडलाइंस के हिसाब से प्रक्रिया अपनाती है और यह पूरे तरीके से कॉमर्शियल डिजिज है।

जहां तक कृषि ऋण की बात है तो मैं इतना बताना चाहूंगा कि वर्ष 2016-17 में 7,548 करोड़ रुपये का कृषि ऋण था, जो कृषि एवं कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए था। यह लोन संबंधित बैंकों द्वारा राइट-ऑफ किया गया था। मैं बताना चाहूंगा कि इस संबंध में प्रक्रिया एकदम साफ है और बैंक उसके हिसाब से कार्रवाई करता है।

इसके अलावा अगर माननीय सदस्य कोई अतिरिक्त जानकारी चाहेंगे तो उससे मैं माननीय सदस्य को बाद में अवगत कराऊंगा।

डॉ. किरीट सोमैया: माननीय अध्यक्ष महोदया, किसानों के नाम पर जो लूट-मार बड़े किसानों के द्वारा या सुगर फैक्ट्रीज़ के द्वारा चल रही है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में ऐसी दर्जनों सुगर फैक्ट्रीज़ हैं, जो किसानों के नाम से बेनामी कर्ज लेती हैं और किसानों को इसके बारे में पता ही नहीं है।

मेरे पास एक जो जानकारी है, वह मैं आपको सिर्फ पढ़ कर बताता हूँ। सुगर फैक्ट्रीज़ ने 328 करोड़ रुपये का कर्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स से किसानों के नाम से लिए। 25,000 से ज्यादा किसानों के नाम से एप्लीकेशन किया गया, उन्हें कर्ज दिया गया और उन किसानों को इसके बारे में पता ही नहीं है। इन्होंने डिफॉल्ट किया। उन किसानों के नाम से उनकी ज़मीन ज़ब्त करने के आदेश निकल रहे हैं। अब उन

किसानों को विलफुल डिफॉल्टर्स बताया जा रहा है। यह आंकड़ा आंध्र बैंक में 39 करोड़ रुपये, यूको बैंक में 47 करोड़ रुपये, यूनाइटेड बैंक में 76 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ इंडिया में 71 करोड़ रुपये, सिंडीकेट बैंक में 42 करोड़ रुपये, और रत्नाकर बैंक में 40 करोड़ रुपये है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जब कर्ज-माफी की घोषणा की तो देवेन्द्र फडणवीस जी ने कहा कि जो छोटे किसान हैं, जो प्रामाणिक किसान हैं, उनके कर्ज हम माफ करने को तैयार हैं। लेकिन इन छोटे किसानों के नाम से देश भर में लूट-मार करने वाले बड़े किसान, बड़े उद्योगपति, और फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस प्रकार से फ्रॉड करने वालों, बेनामी किसानों के नाम से कर्ज लेने वालों के संबंध में क्या वे कड़क कार्रवाई करेंगे।

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि चीनी मिलों को दिया जाने वाला लोन फार्म लोन या कृषि लोन की श्रेणी में नहीं आता है। अभी माननीय सदस्य ने जो शिकायत बताई है, लगता है कि वह गंभीर प्रकृति की है, तो हम उसकी जांच करेंगे तथा कार्रवाई भी करेंगे।

अब यह निर्णय करना कि लोन रि-स्ट्रक्चर करना है या नहीं करना है, यह बैंक तथा चीनी मिल के बीच का मसला है। मैं ऐसा मानता हूँ तथा मैं स्वयं भी किसान हूँ। कृषि के हिसाब से जो ऋण होता है, बैंक्स इस हिसाब से सीधे लोन नहीं देते हैं। बैंक्स चीनी मिल को लोन देते हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। माननीय सदस्य ने जो अनियमितता संबंधी जानकारी दी है, हम निश्चित रूप से उसकी जानकारी लेकर, जो भी तथ्य होंगे, उससे माननीय सदस्य को अवगत कराएंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। इस उत्तर में कहा गया है कि वर्ष 2014 के बाद केंद्र सरकार द्वारा कृषि ऋण माफ करने की कोई योजना नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी का भी बयान आया है कि केंद्र सरकार अभी इस तरह की कोई योजना नहीं ला रही है। यह कहा गया है कि कृषि ऋण के संबंध में जो डिफॉल्टर्स हैं, उनसे निपटने के लिए इसी उत्तर में कहा गया है कि क्रिमिनल तथा कानूनी कार्रवाई का निर्देशन आर.बी.आई. द्वारा दिया गया है।

मैं एक तथ्य रखकर अपना सवाल पूछना चाहूंगा। हमारा आउटस्टैंडिंग फार्म लोन मार्च 2014 में 8.11 लाख करोड़ रुपये का था। आज वह बढ़कर 12.60 लाख करोड़ रुपये का हो गया है। यह सरकार को आत्ममंथन करने की बात है कि 67 साल में 8.11 लाख करोड़ रुपये का और केवल तीन वर्ष में 4.50 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त 60 प्रतिशत कृषि कर्ज का बोझ किसान पर क्यों बढ़ा। यह प्रश्न उठता है।

हम कार्पोरेट राइट ऑफ की बात करें, तो इस सरकार ने कार्पोरेट राइट ऑफ के संबंध में पिछले तीन वर्षों में नयी आयाम स्थापित किया है। श्री गंगवार जी ने राज्य सभा में बताया कि इस वर्ष लगभग 60 हजार करोड़ रुपये (59 हजार 547 करोड़ रुपये) का कार्पोरेट लोन राइट ऑफ किया गया है। इंडिया

रेटिंग क्रेडिट एजेंसी का अनुमान है कि चार लाख करोड़ रुपये का कार्पोरेट लोन राइट ऑफ किया गया है। मेरा प्रश्न यह है, जिसमें माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जी ने भी इस बात पर जवाब दिया कि कार्पोरेट लोन राइट ऑफ है, लेकिन वह केवल एंट्री का बदलाव है। फिर भी, उसमें कलेक्शन करते हैं, मगर सच यह है कि एनपीए में वे चले जाते हैं, वहां भी जो आपकी कलेक्शन है, वह वर्ष 2014-15 में 11.8 प्रतिशत और वर्ष 2015-16 में 13.8 प्रतिशत है। लाखों-करोड़ों रुपये का कार्पोरेट लोन राइट ऑफ हो जाता है और उससे 11-12 पर्सेंट से ज्यादा आपकी कोई रिकवरी नहीं होती है, लेकिन जब किसान के ऋण माफ करने की बात आती है, तो सरकार मना करती है।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और श्री थॉमस जी की पब्लिक एकाउंट्स कमेटी थी, उसने यह एस्टिमेट दिया था कि एनपीएज़ में केवल एक प्रतिशत जो एनपीए है, उसमें 70 प्रतिशत कार्पोरेट के बैड लोन हैं और केवल एक प्रतिशत जो किसान का कर्जा है, जो कि माफ किया जा सकता है। आपकी नीतियों की वजह से किसान रिकॉर्ड कर्जवान हुए हैं। किसान पर तीन वर्ष के अंदर 60 पर्सेंट का कर्ज बढ़ गया है। क्या आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसानों के कर्ज माफ करेंगे, आप कार्पोरेट राइट ऑफ ज्यादा करेंगे या किसान का कर्ज ज्यादा माफ करेंगे? कृपया इस बात का आप जवाब दीजिए।

वित्त मंत्री, कार्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले कह दूं कि जो इस प्रश्न की बुनियाद थी, शायद उसके तथ्य अपने आप में ठीक नहीं हैं और श्री दीपेन्द्र जी उसको वेरिफाई कर लें। सरकार ने किसी कार्पोरेट का एक रुपये का राइट ऑफ नहीं किया है। यह बात जो बार-बार दोहराई जाती है, उसको कहने से पहले या दोहराने से पहले एक बार पुष्टि कर लिया करें। ये एनपीएज़ क्यों बढ़े? वर्ष 2014 के बाद उसके पीछे जो कारण था, उसको कई बार इस सदन में बताया गया। ये वे लोन्स हैं, जो वर्ष 2014 से पहले पब्लिक सैक्टर बैंक्स ने ज्यादा तथा प्राइवेट सैक्टर बैंक्स ने कुछ कम किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तथा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को पब्लिक सैक्टर बैंक्स ज्यादा सपोर्ट करते हैं। यह उस बूम पीरियड में और वर्ष 2008 तथा उसके बाद, जो बैंक्स ने कुछ सैक्टर्स में लेंडिंग की हुई थी, उन सैक्टर्स के ऊपर कुछ आर्थिक एडवर्स सरकारमसटांसेज़ आए। ग्लोबल तथा डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से और वर्ष 2014 में जो ब्याज की सुई थी, वह चलनी बंद नहीं हुई। जब पुराने लोन पर ब्याज चलता रहेगा, तो आंकड़ा बढ़ता रहेगा। इसलिए, पब्लिक सैक्टर बैंक्स के जो पूरे टोटल एनपीएज़ हैं, वे 31 मार्च तक लगभग 6.41 करोड़ रुपये थे। स्ट्रेस असेट थोड़े उससे ज्यादा होंगे, लेकिन प्राइवेट सैक्टर बैंक्स में अलग से हैं। ये क्योंकि कुछ विशेष सैक्टर्स के हैं, इसलिए इनको रिकवर करने के लिए कई प्रकार के कोअर्सिव स्टेप्स उठाए जाते हैं।

जहां तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, इस साल जिस फाइनेंशियल ईयर से हम जा रहे हैं, केवल ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में 2.92 लाख करोड़ रुपये, केवल उस सैक्टर में हम लोगों ने निवेश किया है और

वह निवेश तरह-तरह से होता है। वह क्रॉप इंश्योरेंस के माध्यम से होगा, ग्रामीण सड़कों के माध्यम से होगा, इंट्रेस्ट सबवेंशन के माध्यम से होगा, आवास योजना के माध्यम से होगा। यह रिकार्ड एमाउंट है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इनवेस्ट किया जा रहा है। उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था उठे, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है।

जो ऋण उस क्षेत्र के हैं, अलग-अलग राज्य सरकारें, जिनके पास फिसकल स्पेस है, वे अपनी योजनायें उस दृष्टि से वहां पर बना रही हैं, जिसके पास वह फिसकल स्पेस है। केंद्रीय सरकार ने अपने बजट में प्रावधान किया हुआ है कि उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए हम लोग प्रयोग करते रहे और वह करते हैं। बैंक्स के पास डिस्क्रिशन रहती है, जिसको हम बैंक की परिभाषा में कहते हैं, वे हेयरकट लेते हैं कई बार लोन्स को सैटल करने के लिए, तो कृषि क्षेत्र के ही पिछले वर्ष में 7,548 करोड़ रुपये के लोन्स उन्होंने केवल एग्रीकल्चर के, मान लीजिए कि अगर किसी से 30 परसेंट कम लिया, 40 परसेंट कम लिया और उसका एकाउंट सैटल किया, तो इतना हेयरकट लेकर पब्लिक सैक्टर बैंक्स ने इतना कंसेशन इस साल भी, पिछले वर्ष में भी कृषि क्षेत्र में दिया है। ... (व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: मैडम स्पीकर, यह सच है कि एग्रीकल्चर सैक्टर लॉस में है। देश का किसान कर्जदार हो गया है। कर्ज माफी के लिए प्रदेश सरकारों ने वादे किये। जब सप्लीमेंट्री डिमांड पर डिस्कशन हुई थी, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि कोरपोरेट सैक्टर का ग्लोबल कांप्टीशन के कारण या रिसैशन के कारण 8 लाख करोड़ रुपये का एनपीए बढ़ा है। अगर एग्रीकल्चर सैक्टर में भी यह है, तो क्या कोई पॉलिसी सरकार बनाने जा रही है। पंजाब के अजनाला में एक किसान ने खुदकुशी की। उसने वहां के मुख्य मंत्री का नाम लिखा कि मैं उनके कारण खुदकुशी कर रहा हूं। यह माननीय वित्त मंत्री जी को नोटिस में है या नहीं। ... (व्यवधान) अगर है, तो सरकार क्या उपाय कर रही है। ... (व्यवधान) फिसकल स्पेस की बात है, तो पंजाब में फिसकल स्पेस नहीं रहा। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Member, what is your question to the hon. Minister?

... (Interruptions)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: अगर बच्चा नालायक हो जाए तो उसको घर से नहीं निकाला जाता है। ... (व्यवधान) वहां की सरकार ने गलत वादे करे। ... (व्यवधान) 200 किसान 4 महीने में खुदकुशी कर चुके हैं। ... (व्यवधान) क्या केन्द्र सरकार पंजाब को मदद देने के लिए तैयार है। ... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं। वहां की स्थिति बहुत विस्फोटक बनी हुई है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, मंत्री जी बतायेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। आपने प्रश्न पूछ लिया है।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Only the Minister's reply will go on record.

... (Interruptions)... *

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। आपने प्रश्न पूछ लिया।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, you please take your seat.

... (Interruptions)

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि राज्य सरकारें अपने किसानों की आवश्यकता के हिसाब से स्कीम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ... (व्यवधान) केन्द्र सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Prem Singh Chandumajra, nothing will go on record. What is this?

... (Interruptions)... *

HON. SPEAKER: Don't you want a reply from the hon. Minister?

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: He is giving his reply. You please take your seat. What is all this going on in the House?

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, you please give your reply.

... (Interruptions)

* Not recorded.

श्री संतोष कुमार गंगवार : केन्द्र सरकार किसानों के दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के कार्य कर रही है। इसलिए हम बताना चाहेंगे कि 2009-10 में, जहां पर लोन लगभग सवा तीन लाख करोड़ रुपये था, वह पिछले वर्ष 2016-17 में बढ़ कर 10 लाख 65 हजार करोड़ रुपये हो गया। पूरा सदन अवगत है कि किसान भाइयों को 7 परसेंट की ब्याज दर पर पैसा दिया जाता है। तीन लाख रुपये तक का अगर कर्ज है और समय पर किसान उसे चुकाता है, तो तीन परसेंट की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी देने के बाद किसान को केवल चार प्रतिशत कर्ज देना पड़ता है।

जहां तक सब्सिडी का प्रश्न है, 2014-15 में सब्सिडी 6,000 करोड़ रुपए दी गई थी, अब हम इस वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर रहे हैं। हम किसान को इतनी आर्थिक सहायता दे रहे हैं। इसके अलावा आरबीआई ने किसानों को दिए जाने के संदर्भ में रिपेमेंट के बारे में और अन्य बातों में बहुत नए फैसले लिए हैं। आपको ध्यान होगा कि अभी तक अगर बाढ़, सूखा या ओलावृष्टि हो जाती थी तो किसान को 50 प्रतिशत तक क्रॉप इश्योरेंस का लाभ मिलता था। उसे हमने कम करके 33 परसेंट कर दिया है, इसकी रिपेमेंट में सुविधा देने का काम किया है।

हम पूरी तरह से किसान के प्रति जागरूक हैं, समर्थक हैं और किसान के लिए कोई समस्या नहीं आने देंगे। यह हमारी रुचि का विषय है।

SHRI K. ASHOK KUMAR: Madam, the total farm loan accumulated is about Rs.3.10 lakh crore, which is 2.6 per cent of our GDP in 2016-17. However, since 2000, the Government has waived off corporate loans worth over Rs.4.0 lakh crore benefiting a few in the corporate sector. Is it also true that the Government has asked the States to bear the entire burden of farm loan waiver by themselves? Therefore, I would like to know as to whether the Union Government is considering to waive off farm loan by bearing the entire burden.

श्री संतोष कुमार गंगवार: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बताया है कि यह विषय राज्यों का है। केंद्र ने केवल एक बार 2008-09 में लोन वेवर किया था, उसके बाद अभी कोई ऐसा फैसला नहीं है। हम किसान को जितनी अधिकतम सहायता दे सकते हैं, विभिन्न माध्यमों से दे रहे हैं।

श्री संजय धोत्रे: माननीय अध्यक्ष जी, किसानों की ऋण माफी का विषय बहुत संवेदनशील है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्ज माफी की है। माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2008-09 के बारे में बताया, उस समय कर्ज माफी में कुछ ऐसे मामले सामने आए थे कि जो नॉन एग्रीकल्चर फाइनेंस में थे, उनका भी कर्ज कुछ बैंकों ने माफ किया था। इसमें किसानों की कर्ज माफी में रियल बेनिफिशरीज़ बैंकर रहते हैं। बैंक्स कई बार वन टाइम सैटलमेंट करते हैं। कर्ज माफी में बैड डैट की रिकवरी में सरकार भुगतान करती है। इस कारण सरकार पर बहुत बोझ बढ़ जाता है और विकास की योजनाओं में बाधा पहुंचती है।

अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो कर्ज माफी करेगी, उसमें जिस तरह वन टाइम सैटलमेंट होता है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उस तरह का मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसमें 60-70 परसेंट सरकार बियर करे और 30-40 परसेंट बैंक बियर करे।

श्री संतोष कुमार गंगवार: माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार जो फैसला करेगी, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। इसमें केंद्र का सीधा हस्तक्षेप नहीं रहता है। इसके बाद भी राज्य सरकार हमसे कोई परामर्श लेगी तो हम हर प्रकार का परामर्श देंगे।

(Q. 363)

श्री आर.के.सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर प्राप्त हुआ है, यह समस्या को डिनाई करता है, लेकिन समस्या तो है। एक कमरे में सैंकड़ों कंपनियां रजिस्टर्ड पाई जाती हैं। करीब चार लाख कंपनियां कोई रिटर्न नहीं दे रही हैं, अभी 1,03,000 शैल कंपनियों को डि-रजिस्टर्ड करने के लिए सरकार ने मूव किया है। सरकार ने जुलाई 2017 के अपने उत्तर में खुद कहा कि 700 शैल कंपनियां हैं जिन पर कार्रवाई कर रहे हैं। In recent times, the Government has taken several measures to identify shell companies investigate their operations and take further necessary action. यह सरकार का जवाब है जो प्रश्न 213 अनस्टार्ड के उत्तर में है। इस उत्तर में कहा जा रहा है कि 700 शैल कंपनी नाम की कोई डेफिनेशन कंपनी एक्ट में नहीं है। कानून की व्यवस्था सही है। अगर कानून की व्यवस्था सही है, पूरी प्रक्रिया सही है तो करीब चार लाख शैल कंपनियां कहां से पैदा हो गईं और क्यों पैदा हो गईं? इसका मतलब है कि कानून और कानून के इम्प्लीमेंटेशन दोनों में समस्या है।

अध्यक्ष महोदया, आवश्यकता इस बात की है कि उस समस्या को रिकोगनाइज किया जाये, ऐक्सैप्ट किया जाये। मैं कोई पोलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी हाल में गगन विहार में एक घर के एड्रेस में 187 कम्पनीज रजिस्टर्ड मिलीं, जिसने एक पोलिटिकल पार्टी को फंडिंग किया था। हमें कानून में सुधार की आवश्यकता स्पष्ट नजर आती है, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन ऐसे ही हो जाता है कि एक ही कमरे में सैंकड़ों कम्पनीज रजिस्टर्ड हो जाती हैं, तो कैसे कहा जाता है कि यह कानून सही है और बिना वेरीफिकेशन के रजिस्ट्रेशन नहीं होता है?

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या वे पुनः एनालाइज करेंगे कि क्या-क्या खामियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाये?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जिस समस्या की ओर ध्यान दिलाया है, वह वास्तविक समस्या है। माननीय सदस्य का यह कहना बिल्कुल ठीक है। यह भी सच्चाई है कि शैल कम्पनी नाम की कोई ऐसी शब्दावली नहीं है, जिसकी कम्पनीज एक्ट में परिभाषा हो। किसी को भी एक कम्पनी रजिस्टर्ड करवाने का अधिकार है और उसके आधार पर वह दिखलायेगा कि यह कम्पनी इस एड्रेस से चलेगी, इसके ये शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स होंगे। यह कम्पनी कार्रवाई करेगी और अपना व्यवसाय, बिजनेस करेगी। लेकिन शैल कम्पनी व्यावहारिक तौर से वह कम्पनी हो जाती है, जिसका कोई उद्योग, व्यवसाय नहीं होता। ये कम्पनीज केवल पैसे को घुमाने की दृष्टि से, उसकी राउंड ट्रिपिंग करने की दृष्टि से बनायी जाती हैं। कई लोग इन कम्पनीज को बनाकर नाजायज लाभ

उठाते हैं और उसके माध्यम से कैश पैसे को घुमाना, मल्टी लेयरिंग, यानी कई कम्पनीज एक के बाद एक बनें और उसमें से उसकी रियल आईडेंटिटी को छुपाना और उसके माध्यम से किसी व्यवसाय या बिजनेस में निवेश कर देना होता है। आज तक परिस्थिति यह थी कि इस प्रकार मल्टी लेयरिंग के माध्यम से शेल कम्पनीज, जो केवल पैसे को घुमाने या राउंड ट्रिपिंग की दृष्टि से इसका प्रयोग करती थी। अब इसे कैसे डील किया जाये, तो हम इसे उस कानून में सामान्य इनकम टैक्स की परिभाषा में डील करते थे। इसलिए इस समस्या का हल केवल कम्पनी लॉ में नहीं है, बल्कि इस समस्या का हल इनकम टैक्स लॉ में भी है। इन्हें डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करने के बाद इस पैसे के असली मालिक तक पहुंचना, उसकी टैक्स की लायेबिलिटी को बढ़ाना है। बेनामी कानून पारित होने के बाद, क्योंकि बेनामी कानून केवल इम्यूनेबल प्रापर्टी तक नहीं है, टैन्जिबल ऐसेट्स के ऊपर भी लागू होता है और कम्पनी के माध्यम से जो पैसा घुमाया जाता है, उस पर भी लागू होता है। इसलिए उस कानून के तहत, जो इसका प्रत्यक्ष रूप से मालिक दिख रहा है, लेकिन असली मालिक कोई और है, इसलिए बेनामी कानून में भी कार्रवाई करना होता है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स कानून और बेनामी कानून के तहत इन शेल कम्पनीज के खिलाफ पिछले दिनों काफी तीव्रता से कार्रवाई हुई है और वह चलती रहेगी।

जहां तक कम्पनी एक्ट का संबंध है, तो उसमें कुछ कम्पनीज ऐसी होती हैं, जिन्हें आप शेल कम्पनी न कहकर डॉमैट कम्पनी कह सकते हैं। अब कम्पनी रजिस्टर्ड करवा ली, लेकिन कम्पनी एक्ट के तहत जो कार्रवाई करनी होती है कि आपको रिटन फाइल्स करने हैं, बैलेंस शीट्स बनानी हैं, तो वे कार्यवाही नहीं करते और कभी इस इरादे से रखते हैं कि बाद में यह कभी शेल कम्पनी के रूप में काम आ जायेगी। इसलिए सरकार ने इस पर तीव्र कार्रवाई की है और पिछले दिनों 1 लाख 78 हजार ऐसी कम्पनीज को हमने डी-रजिस्टर्ड किया है। हाल में भी अभी डिपार्टमेंट ऑफ कम्पनी अफेयर्स ने सेबी को ऐसी कुछ कम्पनियों के बारे में इत्तला भेजी है, जिसे लेकर बाजार में थोड़ी उथल-पुथल भी है।

श्री आर.के.सिंह: अध्यक्ष महोदया, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से हमारी सरकार आयी है, तब से वह बहुत तीव्रता और कड़ाई से कार्रवाई कर रही है। यह सच है कि इस सरकार ने जितनी शेल कम्पनीज को रजिस्टर्ड किया, उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक व्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। अभी व्यवस्था यह है कि कोई भी व्यक्ति अब रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लाई कर सकता है। उस व्यक्ति को सैल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है। अब एफिडेविट की भी जरूरत नहीं है। वह सैल्फ डिक्लेरेशन दे देता है, आईडेंटिफिकेशन का कोई डाक्यूमेंट दे देता है। जिस एड्रेस पर वह कम्पनी स्थित होगी, उसका भी एक सैल्फ डिक्लेरेशन दे देता है या कोई वकील डिक्लेरेशन देता है और उसका कोई वेरीफिकेशन नहीं होता है। इसी के फलस्वरूप इतनी सारी शेल कंपनीज फॉर्म हो जाती हैं। इन शेल कंपनीज का एक ही मकसद होता है - बेनामी प्रापर्टी और बेनामी कैश को होल्ड करना। बिना

वेरिफिकेशन के जो कंपनीज रजिस्टर हो जाती हैं, क्या मंत्री महोदय उस व्यवस्था पर गौर करना चाहेंगे? जैसे हम लोग बिना वेरिफिकेशन के किसी को आइडेंटिटी कार्ड नहीं देते हैं, पहले उसका वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन यहां पर बिना वेरिफिकेशन के लोग कंपनी बना लेते हैं। मेरे ख्याल से यह व्यवस्था में एक कमी है। क्या मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे?

श्री अरुण जेटली: हम निश्चित रूप से इसे और सख्त कर सकते हैं, लेकिन माननीय सदस्य इसे एप्रिशिएट करेंगे कि एक तरफ, जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ चाहे इनकम टैक्स, बेनामी एक्ट या कंपनीज एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करें, लेकिन दूसरी तरफ हमें व्यवस्था में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी स्थापित करना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से आज यह व्यवस्था है कि जो कंपनी बनाने के लिए एप्लाई करता है, उसे एक या दो दिन के अंदर कंपनी का रजिस्ट्रेशन मिल जाए। उसे कंपनी को रजिस्टर कराने में सालों-साल तकलीफ न हो। इन दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन ईज़ी रहे, लेकिन अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है तो उसकी डिटेक्शन हो सके। आज टेक्नोलॉजी की वजह से डिटेक्शन इतनी कठिन नहीं है।

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: The hon. Minister has stated in his answer that there is no need to change the provisions of the Companies Act to target the shell companies and he has also pointed out the steps being taken with more than one lakh such companies being derecognized.

Madam, I would like to submit that, while several of the shell companies may be derecognized, the people behind them are incorrigible. They start new companies, new transactions, and as the hon. Minister has himself admitted, this is used to convert legitimate money into black money or *vice versa* and transfer it into benami assets. He has talked about technology making it easier to trace such people.

I have a specific question on this issue. As he said, companies can be for a variety of purposes, for industrial purposes, for service purposes or holding company. But even though the shell companies are not defined in the Act, it is commonly understood in industry parlance that certain nefarious people set up these companies only for the purpose of these illegal transactions.

With regard to technology, in a different sphere, the Government has introduced Aadhaar linkage to PAN cards precisely for this same purpose, to weed

out the large number of fake PAN cards or duplicate PAN cards through the use of biometrics. Will the hon. Minister tell us whether similar biometric related methods are being implemented to weed out the people behind the shell companies, not just the shell companies themselves? If that is not being done, will he consider undertaking such measures?

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I take the question of the hon. Member as a very valuable suggestion. We will certainly apply ourselves and we will take his useful suggestion into consideration.

श्री राजेश रंजन: मैडम, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि बेनामी सम्पत्ति का एक कानून आया, एक काले धन का कानून है। जिन लोगों के पास आज से दस साल या बीस साल पहले शून्य धन हुआ करता था, चाहे वह कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे आज कोई इस देश का बड़ा उद्योगपति बन गया हो, मैं बाहर के काले धन की बात नहीं कर रहा हूँ, आज देश के भीतर, किसी भी व्यवस्था के भीतर जो काला धन है, कानून की आड़ लेकर बड़े ही विचित्र तरीके से अपने जीवन में किसी ने अकूत पैसा कमाया है, ऐसे जो व्यक्ति आज बड़े-बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन बने हुए हैं, उनका काला धन बाहर निकालने के लिए क्या आप कानून बनाएंगे? एक कानून आपने बेनामी सम्पत्ति के लिए बनाया है, जो दिख रहा है, जो नहीं दिखा रहा है, कानून की आड़ में जो अकूत धन बनाया गया है, उसे निकालने के लिए क्या कोई व्यवस्था सरकार करेगी? क्या ऐसा कोई कानून बनेगा, जिससे लोगों को किसी भी रास्ते से अकूत सम्पत्ति बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी? ऐसे लोगों में पॉलिटिशियन्स का नाम इस देश में सबसे ज्यादा है।

श्री अरुण जेटली: मैडम, उसके लिए मौजूदा कानून पर्याप्त है। इस माध्यम से चाहे वह पैसा किसी बिजनेस के लिए या राजनीति के लिए अपनाया जाए, उसके लिए मापदण्ड केवल एक है, कानून केवल एक है और इसके लिए कोई अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पोलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन का पैसा भी उसमें आता है तो वही बेनामी कानून और इनकम टैक्स कानून उसके ऊपर लागू होंगे।

DR. SHASHI THAROOR: Hon. Speaker Madam, this has been a very interesting discussion and the hon. Minister's answer is very helpful but it seems to me that it does not go far enough. My colleague Shri Baijayant Jay Panda has already given one interesting suggestion. But when you see that the Prime Minister's Office is revealing that there are 15 lakh registered companies in India and only 6 lakh of them file their annual returns, you can see there is a problem. Even if shell

companies are not defined in the Act, there is a potential there that 9 lakh companies are either inactive or fraudulent.

HON. SPEAKER: They are shelf companies. शेल्फ पर रखते हैं।

DR. SHASHI THAROOR: Hon. Speaker Madam has got the perfect formula. They are either 'shelf' companies or 'shell' companies. The hon. Minister has said that he does not want to amend the Act as there are other Acts which cover some of these offences. Is it not striking that the Companies Act does not require those incorporating a company to disclose beneficial ownership? So, indeed, the hon. Minister can consider amending the Act, that would require every company to disclose who the beneficial owners are and it can then be linked to Shri Panda's suggestion that those owners also be identified by further indicators such as biometrics. Would that not be a useful amendment to bring into the Act, Mr. Minister?

SHRI ARUN JAITLEY: There is already a provision in the Companies Act to provide for a beneficial owner and that is not a new provision in the Act of 2013. Even in the Act of 1956, in section 187 it was absolutely clear that if there is another beneficial owner on whose behalf the ostensible owner or the apparent owner is holding the shares, he has to file a declaration under section 187 of the old Companies Act and the corresponding provision in the new Act. So, there is nothing wrong in that. I think where the hon. Member needs to have clarity is that there is a distinction between a 'dormant' company and a 'shell' company. A 'dormant' company is a company which is legitimately registered, which does not file its returns and does not comply with the provisions of the Companies Act. Therefore, some of these dormant companies have a potential for being misused as shell companies. So, the concept of dormant companies exists in the Companies Act and therefore these companies are de-registered and it is these companies which we have just now de-registered. If they are misused, they will have to change the beneficial owner. Now you have an additional instrument at your disposal which is the provision under the revenue laws as also the benami property

law. If you have not declared somebody as a beneficial owner which is an honest declaration and you are doing business under a fake name, let us say, a cook or a driver who becomes a shareholder of a company and we normally see in these exposes which are being made, then it is on these kind of companies, like in the case of immovable property, that the Benami Transactions (Prohibition) Act is also applicable.

(Q. 364)

डॉ. मनोज राजोरिया: माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरीके से मेरा विस्तृत प्रश्न था, उसी तरीके से उन्होंने विस्तृत जवाब दिया है। देश की चिन्ताएं थीं कि जब मोदी सरकार बनी, उससे पहले देश में एक भय का माहौल था, आतंकवादियों का बोलबाला था, देश की सीमाओं पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा था और हम विदेशों पर निर्भर थे। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मेक-इन-इंडिया का कार्यक्रम चलाया गया और देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण करने का जो कार्य चलाया गया, उसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूँ। सबसे अच्छी बात यह रही कि पिछले तीन सालों के बारे में जो मैंने पूछा था कि किस प्रकार से हमारे मेक-इन-इंडिया के तहत कांट्रैक्ट किये गये और कितना प्रतिशत पैसा भारतीय कंपनियों से हथियार खरीदने में खर्च किया गया और कितना प्रतिशत पैसा विदेशी कंपनियों से हथियार खरीदने में खर्च किया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि पिछले तीन वर्षों में जो भारतीय लोग हैं, भारतीय कंपनियां हैं, उनसे लगभग 17580.87 करोड़ रुपये के 99 टेंडर जारी किये जा चुके हैं। साथ ही 61 टेंडर 123142 करोड़ रुपये के जारी किये जा चुके हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि लगभग हम 50 प्रतिशत जो स्वदेशी और भारतीय निर्माण के हथियारों की संख्या में आ चुके हैं, यह हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। सरकार ने मेक-इन-इंडिया के लिए भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जिसमें देश की सेनाओं के लिए हथियार अपने देश में बन सकें।

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप प्रश्न पूछें।

डॉ. मनोज राजोरिया : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सेनाओं के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए संसद ने जो संकल्प लिया है, जो 'संकल्प से सिद्धि' की ओर बढ़ने की बात हुई है और वर्ष 2022 के लिए जो संकल्प लिया गया है, उसमें 'मेक इन इंडिया' के लिए वर्ष 2022 तक हमारा क्या संकल्प होगा, कृपया उसे देश के सामने रखें।

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, I would like to inform the hon. Member and the House, through you, that the Government constantly reviews the security scenario and accordingly decides to induct appropriate defence equipment.

As he rightly said, in the last three years, we have signed contracts to the tune of Rs. 2,30,000 crore. Out of this Rs. 2,30,000 crore, for the Indian vendors, there are 99 contracts worth more than Rs. 1,07,000 crore as he has rightly

mentioned. As far as the foreign vendors are concerned, it was 61 contracts to the tune of Rs. 1,23,000 crore. It is our constant endeavour to prepare the Defence Forces for any eventuality that occurs on the fronts. That is why we have the Long-Term Integrated Perspective Plan. The equipment requirement of the Armed Forces for 15 years are planned and procured through a detailed process that includes the LTIP, a five-year Service-wise Capability Acquisition Plan, a two-year roll-on Annual Acquisition Plan, and the deliberations by the Defence Acquisition Council chaired by the Raksha Mantri.

डॉ. मनोज राजोरिया: माननीय अध्यक्ष महोदया, पूरा देश जानता है कि देश विभिन्न प्रकार की सुरक्षा की समस्याओं से जूझ रहा था। देश के पड़ोसी मुल्क हमारी सीमाओं की ओर बदनीयती से देख रहे थे। देश के अंदर भी आतंकवाद ने सिर उठा रखा था। ऐसी परिस्थितियों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी ही निडरता से मित्र-राष्ट्रों को ढूंढना शुरू किया...(व्यवधान) और पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने इज़रायल की यात्रा की। इज़रायल से देश की सुरक्षा के लिए और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए उन्होंने आधुनिक तकनीक संबंधी समझौते किये।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, पूरा देश जानना चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी की जो इज़रायल यात्रा हुई, उसके दौरान इज़रायल से हमारे क्या-क्या रक्षा-समझौते हुए और देश से आतंकवाद को समाप्त करने और देश की सीमाओं की सुरक्षा में उनसे कौन-कौन से लाभ होंगे?

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, the hon. Member wants the details of the agreements and memorandum signed during the Israel trip. Though it is not related to this question, I understand his sentiments. I would definitely provide the details of Prime Minister's visit to him.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER: My question is intended to get more clarity on the reply given by the hon. Minister.

India has recently emerged as the world's largest buyer of defence equipment. It is also known that India is going to have strategic partnership with private players for defence production. The Minister has mentioned that in his reply also.

It is also reported in the newspapers that some ordnance companies under the public sector are going to be closed down. There is a move to buy ordnance

from private firms. In my hand, there is a report which appeared in *The Times of India*. This is a very important thing. It says that some ordnance units have been told to wind up. It says: “Ministry of Defence has directed the Army to buy from private players; units asked to wind up Gun and Shell Factory; Gun Carriage Factory; Gray Iron Factory; Ordnance Factory, Chanda; Ordnance Factory, Dum Dum; Ordnance Cable Factory, Chandigarh; Vehicle Factory, Jabalpur; ...
(Interruptions)

HON. SPEAKER: Please ask your question.

... (Interruptions)

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER: I am asking what the policy of the Government is. Are you going to wind up the public sector participation in the Defence sector and encourage buying things from the private sector? This needs to be clarified.

Madam, we have to make India self-reliant in Defence production. What is the Government's plan to make India self-reliant in Defence production? We must encourage indigenous production of Defence equipment. I would like to get a clarification in this regard from the hon. Minister.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, the spirit of the hon. Member's question is to be appreciated. India is located in an area where we need a very high level of Defence preparedness and, therefore, India cannot indefinitely have a situation where we only keep buying equipment from all over the world. We must also start manufacturing highly technical equipment in India itself.

We have made considerable progress in the last several years. Successive Governments have been trying to increase the indigenous component as far as domestic manufacturing is concerned. Now, traditionally the manufacturing has been in the DPSUs.

As far as your question relating to strategic partnership is concerned, while all those DPSUs will continue to manufacture those equipment, we have formulated a policy of strategic partnership under which Indian private sector companies in four platforms initially, which are going to be thrown open to the private sector, will be asked to bid for it. By a bidding process they will be asked to establish manufacturing bases. They can have a back-to-back tie up as far as foreign principal is concerned. These could be technology tie-ups or tie-ups in terms of joint ventures etc., so that highly specialized equipment required for the Army, whether it is ammunition, aircraft or helicopter, could be manufactured in India itself.

As far as your second part of the question is concerned, which deals with the Ordnance Factory Depot, let me clarify that all Ordnance Factory Depots are going to continue.

PROF. SAUGATA ROY: Not the depots but the factories.

SHRI ARUN JAITLEY: We normally call them OFDs. So, all the ordnance factories are going to continue. No employee of these factories is going to be retrenched in any way. The core competence area of these Ordnance factories is manufacture of ammunition and we are going to utilize these factories predominantly for the purposes of ammunition manufacturing. We may think of some non-core activity, which is not manufacturing, in the Ordnance factory itself but each one of them will continue to manufacture as far as ammunition is concerned.

HON. SPEAKER: Shri K.C. Venugopal.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER: Madam, my second supplementary....

(Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Thank you very much Madam, Speaker. This is one of the most important questions relating to the modernization of our Armed Forces.

Some disturbing reports are coming from our border areas. Today also, I have read a media report that eviction process has been started on a large scale in Tibetan areas. According to the C&AG Report, the Indian Army has ammunition reserves to fight a full-fledged war for only 20 days against the mandatory requirement of at least 40 days. It also says that the Pakistan's Defence industrial base is better than ours. This is a statement made by our Army Vice Chief. I do not know how such sensitive reports are being leaked. This is a sensitive issue that has to be addressed by the Government.

My direct question to the hon. Minister is: is this the actual state of affairs? Does our country lack in adequate Defence equipment?

SHRI ARUN JAITLEY: This question has been asked earlier also and I will only reiterate what I had said. Our Defence forces have adequate equipment to face any eventuality. Any report which contains details are dated as of a particular point of time; thereafter, significant progress has been made. It is a continuous process. It continues to be made and, therefore, nobody should have any doubt about the availability of equipment or the preparedness of our Forces.

DR. A. SAMPATH : Madam, Speaker, the hon. Minister has given a very good reply in paragraph (d) & (e) saying, 'Modernisation of Armed Forces is a continuous process undertaken as per the extant Defence Procurement Procedure, DPP to keep the Forces in a state of readiness to meet operational and security challenges'.

Madam Speaker, we all praise the scientists of ISRO and DRDO. The RISAT-1, RISAT-2 and the Cartosat satellites are from the ISRO. Here, my question is this. On May 23, 2017 mysteriously a Sukhoi aircraft of the Indian Air Force disappeared near Tezpur. The young pilots, Flight Lieutenant Achudev,

from my own district, and Squadron Leader Devesh Pankaj were flying that aircraft. Their parents got a message.

HON. SPEAKER: It is already Twelve O'clock. Please ask the question.

DR. A. SAMPATH: Kindly give me half a minute. This is the plight of our Armed Forces.

HON. SPEAKER: Do not argue with me. Ask the question.

DR. A. SAMPATH: Our hon. Defence Minister was kind enough to visit Thiruvananthapuram. But, he did not take any initiative to visit the family of Flight Lieutenant Achudev.

HON. SPEAKER: It is not related to the question.

DR. A. SAMPATH: My specific question to the hon. Minister is about these two Armed Forces personnel, the two IAF Pilots. It is because empty coffins were sent to their homes. I would like to know from the hon. Defence Minister whether the Ministry of Defence will initiate steps to conduct an independent inquiry about the disappearance of Sukhoi aircraft and also to recover the bodies of two fighter pilots of the Indian Air Force namely Flight Lieutenant Achudev and Squadron Leader Devesh Pankaj.

HON. SPEAKER: I am sorry. This is not related to the question. Hon. Minister, do you want to reply to this?

SHRI ARUN JAITLEY: In any case, let us not have any doubt. The Air Force have investigated the matter and have given a detailed report. Nobody should have any basis to doubt the report of the Indian Air Force.

HON. SPEAKER: Question Hour is over.

12.00 hours

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from some Members on different issues. The matters, though important, do not warrant interruption of the business of the day. I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

... (*Interruptions*)

12.01 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table. Shri Arun Jaitley.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Economic Survey 2016-17 (Volume 2) (Hindi and English versions).

[Placed in Library, See No. LT 7498/16/17]

(2) A copy of the Economic Survey 2016-17* (Re-translated version in Hindi only).

[Placed in Library, See No. LT 7499/16/17]

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Adoption Resource Authority, New Delhi, for the year 2015-2016, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Adoption Resource Authority, New Delhi, for the year 2015-2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7500/16/17]

*Economic Survey 2016-17 (Hindi and English versions) was laid on 31.01.2017

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2015-2016, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7501/16/17]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003:-
 - (i) The Prohibition of Smoking in Public Places (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.500(E) in Gazette of India dated 23rd May, 2017.
 - (ii) The Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.292(E) in Gazette of India dated 24th March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7502/16/17]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) : अध्यक्ष महोदया, श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से, मैं विशिष्ट संस्थाओं के लिए विनियामक ढांचों को समर्थ बनाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 7503/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development (Erstwhile-Central Board for Workers Education), Nagpur, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development (Erstwhile-Central Board for Workers Education), Nagpur, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7504/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, Almora, for the year 2015-2016.
 - (ii) Annual Report of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, Almora, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7505/16/17]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं -

(1) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7506/16/17]

(2) इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7507/16/17]

(3) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7508/16/17]

(4) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7509/16/17]

(5) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7510/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the India Trade Promotion Organisation and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7511/16/17]

(2) A copy of the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.585(E) in Gazette of India dated 13th June, 2017 under sub-section (3) of Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005.

[Placed in Library, See No. LT 7512/16/17]

(3) A copy of the Notification No. F. No. 5/7/2014-EP (EP Agri-V)/Plant-D (Hindi and English versions) published in weekly Gazette of India dated 7th July, 2017, making certain amendments in Notification No. 5/7/2014-EP(Agri.V)/Plant-D dated 5th June, 2015 issued under Section 5 of the Spices Board Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 7513/16/17]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ -

(1) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक - एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (दूसरा संशोधन विनियम, 2017 जो 1 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (पहला संशोधन विनियम, 2017 जो 5 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (दूसरा संशोधन विनियम, 2017 जो 5 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7514/16/17]

(2) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा 4 के अंतर्गत अधिकरण, अपीलीय अधिकरण और अन्य प्राधिकारी (सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2017 जो 1 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 514(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7515/16/17]

(3) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम(स्टाफ) संशोधन नियम, 2017 जो 23 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 282(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7516/16/17]

(4) बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 के अधीन सेंट्रल बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 11 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ:एचआरडी:आईआरपी:2017-18116 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7517/16/17]

(5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2017, जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 557(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (16वां संशोधन) नियम, 2017, जो 16 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1927(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2017, जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 891(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7518/16/17]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 389(अ) जो 18 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 28 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं. 41/1999-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 491(अ) जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 9.3.2012 से 1.3.2017 की अवधि के दौरान प्रवृत्त सामान्य पद्धति के कारण नामित प्रयोगशालाओं के अधिकृत कार्यालयों/अभिकरणों द्वारा ऐसे कटे हुए और पालिश किए गए हीरे के पुनः आयात पर संदेह पूरी ड्यूटी नहीं लगाए जाने / प्रभारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 736(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. 52/2003-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 738(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 9 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 9/2012-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 739(अ) जो 21 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 9 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 40/2015-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 833(अ) जो 5 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें अधिकृत प्रचालन के लिए प्रयुक्त विशेष आर्थिक जोन में किसी यूनिट अथवा डेवलपर द्वारा वस्तुओं के आयात पर शुल्क लगाए जाने योग्य एकीकृत कर से छूट दिए जाने का उपबंध किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7519/16/17]

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 737(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 23/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7520/16/17]

(8) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7521/16/17]

(9) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:-

(एक) सा.का.नि. 603(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं को 22.6.2017 से लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 604(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय केन्द्रीय कर प्रधान आयुक्त, बंगलुरु वेस्ट को गैर कराधान क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा प्रदत्त अथवा सहमत तथा गैर कराधान आनलाइन प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त आनलाइन जानकारी और डाटाबेस अभिगम और पुनःप्राप्ति सेवा के मामले में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की शक्ति प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 662(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं को 01.07.2017 से लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 697(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय कर बीजक पर अपेक्षित एचएसएन डिजिट की संख्या को अधिसूचित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 698(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत ब्याज दर विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017 जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि 699(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 835(अ) जो 5 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा अधिकृत प्रचालनों के लिए प्रयुक्त विशेष आर्थिक जोन में किसी यूनिट अथवा डेवलपर द्वारा

आईजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं के आयात पर एकीकृत कर लगाए जाने से छूट प्रदान किए जाने का उपबंध किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7522/16/17]

(10) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।:-

- (एक) सा.का.नि. 605(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं को 22.06.2017 से लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 606(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय WWW.GST.GOV.IN वेबसाइट को सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 607(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केवल कर योग्य आपूर्ति में नियोजित व्यक्ति जिसपर कुल कर विलोमतः प्रभार के आधार पर संदेय किए जाने की संभावना है, को छूट प्रदान करना है।
- (चार) सा.का.नि. 608(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को अधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 609(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय कर अधिकारियों की को अधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 610(अ) प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को अधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 644(अ) प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को अधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 658(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं को 01.07.2017 से लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (नौ) केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (दूसरा संशोधन) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 663(अ) प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को अधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि. 659(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 19.6.2017 की अधिसूचना सं. 6/2017- केन्द्रीय कर में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि. 660(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय कर बीजक पर अपेक्षित एचएसएन डिजिट की संख्या को अधिसूचित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सा.का.नि. 661(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत ब्याज दर विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सा.का.नि. 661(अ) जो 1 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विभिन्न निदेशालयों के अधिकारियों को अधिकारिता और शक्ति समनुदिष्ट करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (तीसरा संशोधन) जो 1 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 819(अ) प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को अधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) सा.का.नि. 848(अ) जो 7 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय एकीकृत कर के भुगतान के बिना निर्यात के लिए बंध्यपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए शर्त और सुरक्षा अधिसूचित करना है।
- (सोलह) केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (चौथा संशोधन) जो 27 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 965(अ) प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को अधिसूचित करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7523/16/17]

- (11) वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 189 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वित्त (कठिनाइयों को दूर किया जाना) आदेश, 2017 जो 29 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7524/16/17]

(Interruptions)

HON. SPEAKER: Yes, Shri N.K. Premachandran Ji. He is only laying it. If you want to speak, then speak only one sentence.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, my point is this. The notification is improper, illegal and unconstitutional. It is because as per Section 184 of the Finance Act of 2017, I do agree that the Government is empowered to make rules. But, the rules never override the original provisions of the Act. That is number one point. Secondly, it is an encroachment into the legislative functions of the Parliament. Also, it is an encroachment into the judicial functions of the Parliament. The Finance Ministry has no authority to issue notification.

HON. SPEAKER: Now, Item No.11, Shri Hansraj Gangaram Ahir.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): अध्यक्ष महोदया, मैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पत्र सभा पटल पर रखता हूँ -

- (1) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1079(अ) जो 6 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् विशेष न्यायाधीश का न्यायालय (एनडीपीएस अधिनियम), भोपाल में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।
- (2) का.आ. 1371(अ) जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसमें 2 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 339(अ) में शुद्धिपत्र दिया गया है।
- (3) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1575(अ) जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, शिमला में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

- (4) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1576(अ) जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित वरिष्ठतम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, सिलीगुड़ी के न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।
- (5) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1675(अ) जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् जिला और सत्र न्यायालय, देहरादून में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।
- (6) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1788(अ) जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।
- (7) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1787(अ) जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, मोहाली में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।
- (8) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1785(अ) जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् विशेष सिटी सिविल और सत्र न्यायालय, मुंबई में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

- (9) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1786(अ) जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् सिटी सिविल और अपर सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर मुंबई में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।
- (10) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1864(अ) जो 9 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् मुख्य न्यायाधीश, सिटी सत्र न्यायालय, कलकत्ता में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।
- (11) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 1879(अ) जो 13 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् जिला न्यायाधीश- चार सह प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली पुलिस जिला, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।
- (12) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 2033 (अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् 49 अपर सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश, बंगलुरु सिटी में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।
- (13) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 2285 (अ) जो 21 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् विशेष न्यायालय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामले , जयपुर के विशेष न्यायालयमें न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

- (14) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का.आ. 2286 (अ) जो 21 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(एक) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् वरिष्ठ न्यायाधीश, के में न्यायाधीश केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, असम , गुवाहाटी के विशेष न्यायालयमें न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 7525/16/17]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ -

- (1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकी, प्रसुविधा और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की की एक -एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
- (एक) का.आ. 688(अ) जो 2 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन/मानदेय के भुगतान के लिए इस योजना के संबध में आधार का उपयोग किए जाने के बारे में है।
- (दो) का.आ. 689(अ) जो 2 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बालकों को योजना की प्रसुविधाएं दिए जाने के संबध में आधार का उपयोग किए जाने के बारे में है।
- (तीन) का.आ. 2417(अ) जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 688(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) का.आ. 2418(अ) जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7526/16/17]

- (3) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
- (एक) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2017 जो 22 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 155(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) का.आ. 1206(अ) जो 18अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23(2) के अंतर्गत असम राज्य को दी गई छूट की अवधि बढ़ा दी गई है।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7527/16/17]

- (5) (एक) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7528/16/17]

- (7) (एक) हरियाणा स्कूल सर्व शिक्षा परियोजना परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हरियाणा स्कूल सर्व शिक्षा परियोजना परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7529/16/17]

- (9) (एक) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7530/16/17]

- (11) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसायटी, शिमला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसायटी, शिमला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7531/16/17]

- (13) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7532/16/17]

- (15) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए राज्य मिशन अँथारिटी) अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2014-2015 और वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए राज्य मिशन अँथारिटी) अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2014-2015 और वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7533/16/17]

(17) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7534/16/17]

(19) (एक) सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7535/16/17]

(21) (एक) सर्व शिक्षा अभियान- यूटी मिशन अँथारिटी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान- यूटी मिशन अँथारिटी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7536/16/17]

(23) (एक) सर्व शिक्षा अभियान-यू.टी. ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान-यू.टी. ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7537/16/17]

(25) (एक) सर्व शिक्षा अभियान-यू.टी. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन और दीव, दमन के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान-यू.टी. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन और दीव, दमन के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7538/16/17]

(27) (एक) सर्व शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7539/16/17]

(29) (एक) यूनियन टैरिटरी मिशन अँथारिटी दादर और नागर हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिल्वासा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूनियन टैरिटरी मिशन अँथारिटी दादर और नागर हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिल्वासा के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7540/16/17]

(31) (एक) तेलंगाना सर्व शिक्षा अभियान, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेलंगाना सर्व शिक्षा अभियान, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7541/16/17]

(33) (एक) उत्तराखण्ड सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखण्ड सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7542/16/17]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) रीजनल ब्रेल प्रेस, कोलकाता के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रीजनल ब्रेल प्रेस, कोलकाता के वर्ष 2015-16 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7543/16/17]

- (3) (एक) आल इंडिया कोफेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, दिल्ली के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आल इंडिया कोफेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, दिल्ली के वर्ष 2016-17 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7544/16/17]

- (4) (एक) मित्र ज्योति, बेंगलुरु के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मित्र ज्योति, बेंगलुरु के वर्ष 2015-16 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7545/16/17]

- (6) (एक) राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जयपुर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जयपुर के वर्ष 2015-16 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7546/16/17]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : अध्यक्ष महोदया, मैं स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 7547/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI
ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table a copy each of the
following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of
Section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956:-

- (i) The Securities Contracts (Regulation) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.268(E) in Gazette of India dated 20th March, 2017.
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.664(E) in Gazette of India dated 28th June, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7548/16/17]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 26 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) परिनियम, 2017 का पहला परिनियम, जो 24 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 947 (अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर (संशोधन) परिनियम, 2017 का पहला परिनियम, जो 24 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 948 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7549/16/17]

- (2) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -
- (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (राष्ट्रीय रोजगार परकता अभिवृद्धि मिशन) (एनईईएम) विनियम, 2017 जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.एफ.सं. 37-1/डी-एसडीसी/नीम/2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की बड़ी/प्रमुख शाखा और उनके संगत/उपयुक्त पाठ्यक्रम जिनके फलस्वरूप इंजीनियरी प्रौद्योगिकी की डिग्री मिलती है) 2017 शिक्षण पद के लिए भर्ती; जो 28 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.एफ.सं. 27/आईएफडी/वेतन/01 /2017-18 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7550/16/17]

- (3) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

- (एक) अधिसूचना संख्या सीयूजे/विनियम/04/2010 जो 27 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ झारखंड के अध्यादेश संख्यांक ओए-2, ओए-5 और ओई-1 के बारे में है।

- (दो) अधिसूचना संख्या एचएनबीजीयू/आरओ/2017/285 जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, एनएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अध्यादेशों को तैयार किया गया है।
- (तीन) अधिसूचना संख्या आर/2012/380 जो 24 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय के परिनियम सं.15(1) में संशोधन किया गया है।
- (चार) अधिसूचना संख्या 2-4/2009-प्रशा./329 जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ गुजरात के अध्यादेश संख्याओं में संशोधन किया गया है।
- (पांच) अधिसूचना संख्या 2-4/2009-प्रशा./1241 जो 11 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ गुजरात के अध्यादेश संख्याओं में संशोधन किया गया है।
- (छह) अधिसूचना संख्या 3-3/सीयूएचपी/जीए/2010/खण्ड-2 जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ हिमाचल प्रदेश के अध्यादेश संख्याओं में संशोधन किया गया है।
- (सात) अधिसूचना संख्या सीयूएच/2016/रेग./अधिसूचना/346 (ए) जो 22 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ हरियाणा के अध्यादेश संख्याओं में संशोधन किया गया है।
- (आठ) अधिसूचना संख्या सीयूजे/प्रशासन/अध्यादेश/2017/519 जो 12 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ जम्मू के अध्यादेश संख्याओं में संशोधन किया गया है।
- (नौ) अधिसूचना संख्या 243 जो 20 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ तमिलनाडु के अध्यादेश संख्याओं में संशोधन किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 7551/16/17]

- (4) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2015-16 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7552/16/17]

- (6) (एक) नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ फाऊंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ फाऊंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2015-16 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7553/16/17]

- (8) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसिफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसिफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7554/16/17]

- (10) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7555/16/17]

(12) (एक) नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राऊरकेला के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राऊरकेला के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7556/16/17]

(14) (एक) नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7557/16/17]

(16) (एक) नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, हमीरपुर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, हमीरपुर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7558/16/17]

(18) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2015-16 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7559/16/17]

(20) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2015-16 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7560/16/17]

(22) (एक) नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2015-16 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7561/16/17]

(24) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7562/16/17]

(26) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7563/16/17]

(28) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7564/16/17]

(30) (एक) राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, शिलोंग के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, शिलोंग के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7565/16/17]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7566/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): I beg to lay_on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Memorandum of Understanding between the Hindustan Aeronautics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7567/16/17]

- (2) Memorandum of Understanding between the Bharat Electronics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7568/16/17]

- (3) Memorandum of Understanding between the Bharat Electronics Limited and the BEL-THALES Systems Limited for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7569/16/17]

- (4) Memorandum of Understanding between the Bharat Electronics Limited and the BEL Optronic Devices Limited for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7570/16/17]

- (5) Memorandum of Understanding between the BEML Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7571/16/17]

- (6) Memorandum of Understanding between the BEML Limited and Vignyan Industries Limited for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7572/16/17]

12.03 hours**MESSAGES FROM RAJYA SABHA**

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

- (i) "I am directed to inform you that the Rajya Sabha at its sitting held on Thursday, the 10th August, 2017 adopted the following Motion regarding filling up of the casual vacancies in the Joint Committee on the Citizenship (Amendment) Bill, 2016:-

MOTION

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do appoint three Members to the Joint Committee on the Citizenship (Amendment) Bill, 2016 in the vacancies that will arise due to the retirements of Shri Dilipbhai Pandya, Shri Derek O' Brien and Shri P. Bhattacharya from the Rajya Sabha on 18.08.2017 and communicate to the Lok Sabha the names of the Members so appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee and resolves that Shri Narayan Lal Panchariya, Shri P. Bhattacharya and Shri Derek O' Brien be appointed/re-appointed to the said Joint Committee to fill the vacancies *w.e.f. 19.08.2017.*"

- (ii) "I am directed to inform you that the Rajya Sabha at its sitting held on Thursday, the 10th August, 2017 adopted the following Motion regarding filling up of the casual vacancy in the Joint Committee on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Second Amendment) Bill, 2015:-

MOTION

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do appoint one Member to the Joint Committee on the Right to Fair Compensation and

Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Second Amendment) Bill, 2015 in the vacancy that will arise due to the retirement of Shri Derek O' Brien from the Rajya Sabha on 18.08.2017 and communicate to the Lok Sabha the name of the Member so appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee and resolves that Shri Derek O' Brien be re-appointed to the said Joint Committee to fill the vacancy *w.e.f.* 19.08.2017." ,

- (iii) “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 10th August, 2017 agreed without any amendment to the Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd August, 2017.”
-

12.04 hours**PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE**
80th and 81st Reports

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : अध्यक्ष महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) 'सेंट्रल बफर कपलर (सीपीसी) संघटकों की विफलता के कारण रेलगाड़ी के पृथक होने से हानि' के बारे में 41वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 80वां प्रतिवेदन।
- (2) 'अनुराग द्वारा अतिरिक्त परिहार्य व्यय' के बारे में 44वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 81वां प्रतिवेदन।

12.05 hours**COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS**
Minutes

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदया, मैं चालू सत्र के दौरान हुई गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की 34वीं से 36वीं बैठकों का कार्यकारी सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.05 ½ hours**STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY**
39th to 41st Reports

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर): अध्यक्ष महोदया, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2016-2017) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 39वां प्रतिवेदन।
- (2) संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 40वां प्रतिवेदन।
- (3) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

12.06 hours**COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS**
16th Report

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनन्तपुरम) : अध्यक्ष महोदया, मैं 'भारत-पाकिस्तान संबंध' विषय पर विदेशी मामलों संबंधी समिति (2016-17) का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.06 ½ hours

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS
AND PUBLIC DISTRIBUTION
Statements

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज (उन्नाव) : अध्यक्ष महोदया, मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पांच के बारे में अंतिम उत्तर दर्शाने वाले की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-17) (16वीं लोक सभा) के बारे में 13वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।
 - (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-17) (16वीं लोक सभा) के बारे में 14वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।
-

12.07 hours**STATEMENTS BY MINISTERS****(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of Corporate Affairs***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): Madam, on behalf of Shri Arun Jaitley, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of Corporate Affairs.

12.07 ½ hours**(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 268th Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants (2015-16) and 278th Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Women and Child Development***

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): Madam, I beg to lay a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 268th Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants (2015-16) and 278th Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Women and Child Development.

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 7573/16/17 and 7574/16/17 respectively

12.08 hours

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 233rd Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 222nd Report of the Committee on Demands for Grants (2010-11) (Demand No. 58), pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) : अध्यक्ष महोदया, मैं श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) (मांग संख्या 58) के बारे में समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 233वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ।

12.08 ½ hours

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 22nd Report of the Standing Committee on Labour on Action Taken by the Government on recommendations contained in the 16th Report of the Committee on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 22nd Report of the Standing Committee on Labour on Action Taken by the Government on recommendations contained in the 16th Report of the Committee on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 7575/16/17 and 7576/16/17 respectively

12.09 hours**MOTION RE: 46TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): अध्यक्ष महोदया, मैं श्री अनंत कुमार की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ:-

“ कि यह सभा 10 अगस्त, 2017 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Forty-sixth Report of Business Advisory Committee presented to the House on the 10th August, 2017.”

The motion was adopted.

12.10 hours**GOVERNMENT BILLS - Introduced****(i) Right of Children to Free and Compulsory Education
(Second Amendment) Bill, 2017***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI UPENDRA KUSHWAHA): Madam, on behalf of Shri Prakash Javadekar, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.”

The motion was adopted.

SHRI UPENDRA KUSHWAHA: Madam, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 11.08.2017.

12.10 ½ hours**(ii) Repealing and Amending (Second) Bill, 2017***

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments.”

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, I introduce** the Bill.

माननीय अध्यक्ष : यह टाइम बार्ड था, मैंने बता तो दिया।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 11.08.2017.

** Introduced with recommendation of the President.

12.11 hours**VALEDICTORY REFERENCE**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सोलहवीं लोक सभा के बारहवें सत्र के समापन पर आप सभी को मैं बधाई देती हूँ, क्योंकि यह सोलहवीं लोक सभा का बारहवां सत्र 17 जुलाई, 2017 को आरंभ हुआ था, जो आज समाप्त हो रहा है। मगर इस सत्र के दौरान हमने 19 बैठकें की, जो तकरीबन 76 घंटे 41 मिनट चलीं। वर्तमान सत्र के दौरान 17 जुलाई, 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हुआ और 20 जुलाई, 2017 को इसके परिणाम की घोषणा हुई। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने 25 जुलाई, 2017 को केन्द्रीय कक्ष में शपथ ली।

सभा ने 9 अगस्त, 2017 को “भारत छोड़ो आंदोलन” की 75वीं वर्षगांठ के अवसर को विशेष चर्चा के पश्चात् एक संकल्प को adopt करके मनाया। यह सचमुच में एक अविस्मरणीय क्षण था। इसलिए फिर एक बार आप सबको मैं बधाई और धन्यवाद दोनों देती हूँ।

इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य निपटारे गये। वर्ष 2017-18 के लिए Supplementary Demands for Grants (General) और वर्ष 2014-15 के लिए Demands for Excess Grants (General) के बारे में करीब 5 घंटे 11 मिनट तक चर्चा हुई और तत्पश्चात् इन्हें मतदान के लिए रखा गया और संबंधित Appropriation Bills पारित किए गए।

वर्तमान सत्र के दौरान 17 सरकारी विधेयक introduce किए गए। कुल मिलाकर 14 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों में निम्नलिखित विधेयक शामिल थे:-

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) विधेयक, 2017;

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017;

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016;

बैंककारी विनियम (संशोधन) विधेयक, 2017;

पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तार) संशोधन विधेयक, 2017; और

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017

सत्र के दौरान 380 starred प्रश्न सूचीबद्ध किए गए जिनमें से 63 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार, औसतन प्रतिदिन लगभग 3.31 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष starred प्रश्नों के लिखित उत्तर 4370 unstarred प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए। सदस्यों ने प्रश्न काल के

पश्चात् और शाम को देर तक बैठ कर लगभग 252 अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन करीब 281 मामले सदन में उठाए।

स्थायी समितियों ने सभा में 44 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

सभा में नियम 193 के अधीन निम्नलिखित अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों पर अल्पकालिक चर्चाएं भी हुईं :-

- (1) देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति, और
 - (2) देश में भीड़ द्वारा हिंसा में अत्याचार और पीट-पीटकर मारने की कथित घटनाओं से उत्पन्न स्थिति
- इस सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण (कॉलिंग अटेंशन) के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण उत्पन्न समस्याओं के बारे में भी मामला भी उठाया गया।

अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा 41 वक्तव्य दिए गए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सरकारी कार्य के बारे में तीन वक्तव्य दिए।

सत्र के दौरान, संबंधित मंत्रियों ने करीब 1270 पत्र सभा पटल पर रखे।

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर गैर सरकारी सदस्यों के 28 विधेयक इंट्रोड्युज़ किए गए। श्री विन्सेंट एच. पाला द्वारा पेश किए गए संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक 2015 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को 21 जुलाई, 2017 को आगे चर्चा के लिए लिया गया। तथापि, विधेयक पर चर्चा उस दिन पूरी नहीं हुई।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा पेश किए गए संकल्प, जिस पर पिछले सत्रों के दौरान चर्चा की गई थी, पर 28 जुलाई, 2017 को आगे चर्चा की गई और उसे उसी दिन सभा की अनुमति से वापस लिया गया। देश में विभिन्न रक्षा स्थापनों के समीप स्थित भवनों के जीर्णोद्धार के संबंध में श्री गोपाल शेट्टी द्वारा 28 जुलाई, 2017 को एक अन्य संकल्प पेश किया गया और इस पर आंशिक चर्चा हुई।

इस सत्र में व्यवधानों और उसके कारण किए गए स्थगनों के कारण 29 घंटे 58 मिनट का समय नष्ट हुआ, लेकिन सभा ने 10 घंटे और 43 मिनट देर तक बैठ कर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की। इसके लिए भी मैं आपकी आभारी हूँ।

मैं माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में शामिल अपने सहयोगियों का सभा के सुचारू रूप से संचालन में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों तथा सभी माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों का भी

धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव और लोक सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं सभा की कार्यवाही के सुचारु संचालन के लिए प्रदान की गई सहायता के लिए संबंधित सभी एजेंसियों को भी धन्यवाद करती हूँ।

माननीय सदस्यगण, मैं इस अवसर पर आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए सभी को बधाई देती हूँ और हमने तो संकल्प भी लिया है।

इस पूरे सत्र में, आप सबका जो सहयोग रहा, उसके लिए मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ और बधाई देती हूँ।

माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि अब "वन्दे मातरम् " की धुन बजाई जाएगी।

12.19 hours

NATIONAL SONG

(The National Song was played.)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned *sine die*.

12.20 hours

The Lok Sabha then adjourned sine die.
